



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163142

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 40244 वर्ष 2009

पंकज सक्सेना

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अनिल तिवारी, प्रीत पाल सिंह राठौर

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 10)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रीत पाल सिंह की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता सुश्री अंजलि शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है:

"i. अभिलेख तलब करते हुए सर्टियोरारी की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए तथा इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कलेक्टर, मेरठ द्वारा पारित दिनांक 05.05.2005 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाए।

ii. प्रतिवादियों को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए याचिकाकर्ता को तत्काल कलेक्टर, मेरठ में लिपिक/सहायक वासिल वाकी नवीस (ए.डब्ल्यू.बी.एन.) के पद पर नियुक्त करने तथा वर्ष 1999 से, जब ए.डब्ल्यू.बी.एन. के लिए निर्धारित नियमित रिक्त पदों को इस माननीय न्यायालय के नियमों एवं निर्णय के विपरीत भरा गया था, समस्त परिणामी लाभ प्रदान करने का आदेश दिया जाए।

iii. प्रतिवादियों को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए याचिकाकर्ता को समस्त परिणामी लाभ प्रदान किए जाने का आदेश दिया जाए।”

3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 31.10.1994 को मौसमी सहायक वासिल वाकी नवीस (एस.ए.डब्ल्यू.बी.एन.) के रूप में नियोजित किया गया था। इसके पश्चात् समय-समय पर उसे उक्त पद पर कार्यरत रखा जाता रहा। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 1057 वर्ष 1999 दाखिल करते हुए यह प्रार्थना की कि उसे मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. में से 35 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत सहायक वासिल वाकी नवीस (ए.डब्ल्यू.बी.एन.)/लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता की उक्त रिट याचिका स्वीकार की गई तथा जिलाधिकारी, मेरठ को यह निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता के मामले पर एस.ए.डब्ल्यू.बी.एन./लिपिक के पद पर पदोन्नति/चयन के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिए विधि के अनुसार विचार करें, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका के पैरा 6 में संदर्भित मामलों में अभिनिर्धारित एवं घोषित किया गया है।

4. उक्त रिट याचिका के पैरा 6 में **वीरेन्द्र सिंह बनाम कलेक्टर, कानपुर देहात एवं अन्य, 1997 ए.डब्ल्यू.सी. 397** तथा **जय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1997, 3 ई.एस.सी. 1847**, इलाहाबाद के मामलों का संदर्भ दिया गया था, जिनमें यह प्रावधान किया गया था कि उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीन सेवा नियमावली, 1974 के अनुसार मौसमी कलेक्शन अमीनों में से 35 प्रतिशत तक कलेक्शन अमीन के पद पर पदोन्नति/चयन का प्रावधान है। यद्यपि ऐसे मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. में से ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर चयन के संबंध में कोई विशिष्ट नियम अथवा प्रावधान नहीं है, तथापि विभिन्न न्यायालयीन आदेशों द्वारा अन्य मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. को समान लाभ प्रदान किया गया था। अतः याचिकाकर्ता के मामले पर भी ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर चयन/नियुक्ति के लिए विचार किया जाना था तथा यह भी प्रावधान किया गया था कि 35 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत ऐसी चयन/नियुक्ति करते समय मौसमी कलेक्शन अमीनों को उपलब्ध आयु में जो छूट प्रदान की जाती है, वही आयु-छूट मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. को भी प्रदान की जाए।
5. याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल रिट याचिका में पारित उपर्युक्त दिनांक 16.11.2002 के आदेश के अनुपालन में, यहां याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.04.2004/29.04.2004 को नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए जिलाधिकारी, मेरठ से संपर्क किया। तत्पश्चात्, दिनांक 05.05.2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि वर्ष 1999 से लेकर आक्षेपित आदेश पारित किए जाने तक ए.डब्ल्यू.बी.एन. का कोई पद रिक्त नहीं हुआ था, इसलिए उक्त पद पर कोई चयन नहीं किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद, याचिकाकर्ता के ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर चयन/नियुक्ति के दावे पर जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा विचार नहीं किया गया, जबकि जिलाधिकारी, मेरठ का यह दायित्व था कि वह याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करते हुए उसे ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर नियुक्ति प्रदान करते। अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की कि यद्यपि वर्तमान में याचिकाकर्ता की आयु लगभग 88 वर्ष है, फिर भी उसे वर्ष 1999 से ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए तथा उसे समस्त परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं।
7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि वर्ष 1974 की नियमावली को मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. के मामले में ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए विचारणीय एवं लागू भी माना जाए, तो भी याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में दाखिल की गई रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा कलेक्शन अमीनों के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में दिए गए निर्देश के अनुसार, ऐसी नियुक्ति एवं चयन वर्ष 1974 की नियमावली में निर्धारित आयु-सीमा के अधीन ही किया जा सकता है, क्योंकि उक्त नियमावली में स्वयं अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
8. यह याचिकाकर्ता का स्वीकृत मामला है कि वर्ष 2002 में भी, जब इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की पूर्व में दाखिल रिट याचिका में आदेश पारित किया गया था, उस समय याचिकाकर्ता की आयु 45 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त आदेश पारित किए जाने के पश्चात् याचिकाकर्ता के मामले पर जनपद मेरठ में विचार किए जाने तक ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर कभी कोई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई। अतः किसी भी परिस्थिति में याचिकाकर्ता को उक्त पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती थी। इसलिए, आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। फलतः, राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात्, इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।
10. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता का दावा इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की पूर्व में दाखिल रिट याचिका, अर्थात् **सिविल विविध रिट याचिका संख्या 1057 वर्ष 1999 (पंकज सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)**, दिनांक 16.11.2002 में की गई टिप्पणी पर आधारित है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:

“6. सहायक वासिल वाकी नवीस के पद पर नियुक्ति के मामले में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई ऐसी अधीनस्थ सेवा है, जो सहायक वासिल वाकी नवीस के पद पर पदोन्नति का अधिकार दावा कर रही हो। यह उचित होगा कि 35 प्रतिशत पद मौसमी सहायक वासिल वाकी नवीस को उनकी ज्येष्ठता के अनुसार प्रदान किए जाएं, किंतु इस शर्त के अधीन कि उनका कार्य एवं आचरण अच्छा रहा हो। इस प्रयोजन के लिए संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ज्येष्ठता सूची तैयार की जा सकती है और तत्पश्चात् ऐसे मौसमी सहायक वासिल वाकी नवीस के मामलों पर विचार करने के लिए एक चयन समिति नियुक्त की जा सकती है। चूंकि कलेक्शन अमीन नियमावली, 1974 में छह सीजन के लिए मानदंड निर्धारित किया गया है, इसलिए अन्य अर्हताओं,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पात्रता एवं आयु-सीमा के अधीन रहते हुए वही मानदंड मौसमी सहायक वासिल वाकी नवीस के संबंध में भी लागू किया जा सकता है। आयु-सीमा में उतनी ही छूट प्रदान की जा सकती है, जितनी मौसमी कलेक्शन अमीन के लिए निर्धारित की गई है।”

वीरेन्द्र सिंह बनाम कलेक्टर, कानपुर देहात एवं अन्य, 1997 ए.डब्ल्यू.सी. 397 के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “सहायक वासिल वाकी नवीस के पद पर नियुक्ति के मामले में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई ऐसी अधीनस्थ सेवा है, जो सहायक वासिल वाकी नवीस के पद पर पदोन्नति का अधिकार दावा कर रही हो। यह उचित होगा कि 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएं तथा 50 प्रतिशत पद मौसमी सहायक वासिल वाकी नवीस को उनकी ज्येष्ठता के अनुसार प्रदान किए जाएं, किंतु इस शर्त के अधीन कि उनका कार्य एवं आचरण अच्छा रहा हो। इस प्रयोजन के लिए संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ज्येष्ठता सूची तैयार की जा सकती है और तत्पश्चात् ऐसे मौसमी सहायक वासिल वाकी नवीस के मामलों पर विचार करने के लिए एक चयन समिति नियुक्त की जा सकती है। चूंकि कलेक्शन अमीन नियमावली, 1974 में छह सीजन के लिए मानदंड निर्धारित किया गया है, इसलिए अन्य अर्हताओं, पात्रता एवं आयु-सीमा के अधीन रहते हुए वही मानदंड मौसमी सहायक वासिल वाकी नवीस के संबंध में भी लागू किया जा सकता है। आयु-सीमा में उतनी ही छूट प्रदान की जा सकती है, जितनी मौसमी कलेक्शन अमीन के लिए निर्धारित की गई है।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1997 (3) ई.एस.सी. 1847 (इलाहाबाद), के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि “यदि मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. को चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, तो इससे उनके साथ घोर अन्याय होगा, जबकि समान स्थिति वाले उनके सहकर्मियों, अर्थात् मौसमी कलेक्शन अमीनों को ऐसा अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को कार्य में नियोजित करना और तत्पश्चात् नियुक्ति के मामले में उन्हें अस्वीकार कर देना निश्चित रूप से ऐसा अन्याय उत्पन्न करेगा, जिसे रोकना राज्य का दायित्व है। पुनः, मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. के रूप में व्यक्तियों को नियोजित करने के पश्चात् चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा स्थायी पद पर भर्ती किए जाने के अवसर से वंचित करना निश्चित रूप से शोषण के समान होगा, जिससे इन दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का चयन चयन समिति द्वारा किया गया था और उसका नाम क्रम संख्या 11 पर रखा गया था। यद्यपि क्रम संख्या 1 से 10 तथा 12 पर स्थित व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई, फिर भी क्रम संख्या 11 पर रखे जाने के बावजूद याचिकाकर्ता के मामले की उपेक्षा की गई। अतः अब राज्य अपने पूर्व के रुख से पलटकर इसके विपरीत रुख नहीं अपना सकता। यदि याचिकाकर्ता का चयन किया गया है और उसे क्रम संख्या 11 पर रखा गया है तथा क्रम संख्या 12 पर स्थित व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है, तो याचिकाकर्ता निश्चित रूप से नियुक्ति पाने का अधिकारी है, जब तक कि चयनित होने तथा अन्य आधारों पर पात्र होने के बावजूद उसे नियुक्ति के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिए किसी अन्य कारण से अयोग्य न पाया गया हो। यदि याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई रिक्ति उपलब्ध है, तो प्रतिवादियों के लिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति प्रदान करना अनिवार्य है। अतः यदि याचिकाकर्ता का चयन किया गया है, उसका नाम उपर्युक्त चयन सूची में क्रम संख्या 11 पर है और कोई रिक्ति उपलब्ध है, तो उसे तत्काल ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर समायोजित किया जाना चाहिए तथा उसी चयन सूची में क्रम संख्या 12 पर स्थित व्यक्ति को जिस तिथि को नियुक्ति प्रदान की गई थी, उसी तिथि से याचिकाकर्ता को समस्त सेवाजन्य लाभ प्रदान किए जाने चाहिए और वह ज्येष्ठता तथा अन्य सेवाजन्य लाभों सहित सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

अधिसूचनाओं के परिशीलन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कुल 33 रिक्तियां हैं, जिनके लिए प्रतिवादी सीधी भर्ती करने जा रहे हैं, जबकि नियमावली तथा इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार इन रिक्तियों में से 35 प्रतिशत रिक्तियां केवल मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. में से पदोन्नति द्वारा भरी जानी चाहिए। इस प्रकार, ए.डब्ल्यू.बी.एन. के कुल पदों में से 35 प्रतिशत पदों को पृथक किए बिना इस चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाना विधि-विरुद्ध है।

इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. का पद ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद के लिए फीडर पद है और, जैसा कि कलेक्शन अमीन सेवा नियमावली में प्रावधान किया गया है, ए.डब्ल्यू.बी.एन.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के कुल रिक्त पदों में से केवल 50 प्रतिशत पद ही सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं। शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों में से 35 प्रतिशत पद मौसमी ए.डब्ल्यू.बी.एन. में से उनकी संबंधित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। अतः याचिकाकर्ता कलेक्ट्रेट में रिक्त पड़े ए.डब्ल्यू.बी.एन./लिपिक के पद पर पदोन्नति/चयन का अधिकारी है।

फलतः, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा पारित दिनांक 08.12.1998 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाती है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस याचिका के पैरा 6 में संदर्भित मामलों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एवं घोषित विधि के अनुसार तथा इस निर्णय के मुख्य भाग में की गई टिप्पणियों के आलोक में, ए.डब्ल्यू.बी.एन./लिपिक के पद पर याचिकाकर्ता की पदोन्नति/चयन के मामले पर विधि के अनुसार विचार करें।”

11. उपर्युक्त टिप्पणी तथा इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि कलेक्शन अमीन नियमावली, 1974 का जो लाभ मौसमी कलेक्शन अमीनों को 35 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध है, वही लाभ ए.डब्ल्यू.बी.एन. के मामले में भी प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीन सेवा नियमावली, 1974 का नियम 5 निम्नवत् प्रावधानित करता है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“15. भर्ती का स्रोत—(1) सेवा के साधारण श्रेणी के पदों पर भर्ती इन नियमों के भाग V में उपबंधित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जाएगी:

परंतु यह कि उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अधीन, रिक्तियों में से अधिकतम पंद्रह प्रतिशत रिक्तियां निम्नलिखित मौलिक रूप से नियुक्त कलेक्शन चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी—

(क) जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो; तथा

(ख) जिन्होंने राजस्व विभाग के कलेक्शन संगठन में कम-से-कम छह फसलों की अवधि तक कार्य किया हो।

परंतु यह भी कि पैंतीस प्रतिशत रिक्तियां ऐसे मौसमी कलेक्शन अमीनों में से चयन द्वारा भरी जाएंगी—

(क) जिन्होंने कम-से-कम चार फसलों तक संतोषजनक रूप से कार्य किया हो;

(ख) जिनकी आयु उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जा रहा हो, 45 वर्ष से अधिक न हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह भी प्रावधानित है कि यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां सामान्य अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।”

12. उपर्युक्त नियमों के परिशीलन से, विशेष रूप से परंतुक (ख) से, जो स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित करता है कि जिस वर्ष चयन किया जाना है, उस वर्ष के प्रथम दिन अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, यह स्पष्ट है। अतः यदि कलेक्शन अमीन सेवा नियमावली का लाभ याचिकाकर्ता को प्रदान किया भी जाए, तब भी याचिकाकर्ता निश्चित रूप से आयु-सीमा से अधिक था और यहां तक कि याचिकाकर्ता की पूर्ववर्ती रिट याचिका में दिनांक 16.11.2002 को आदेश पारित किए जाने की तिथि को भी वह अधिवर्षता आयु से काफी अधिक आयु का हो चुका था। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित आदेश में जिलाधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1999 से वर्ष 2005 के मध्य उक्त अवधि में जनपद मेरठ में ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए 35 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत उसे ए.डब्ल्यू.बी.एन. के पद पर नियुक्त किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अतः रिट याचिका में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

13. ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के दावे में कोई बल नहीं मिलता है। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका **निरस्त** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक: 05 अगस्त, 2026

शुभम आर्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”